...यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

...0 45/2021 तारीखरजू:– 30.6.21

उनवान:– फजलुद्दीन बनाम नूरन वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

...ांक	फर्द अहकाम	
...6.21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 911/0.40, 913/0.43 है0 ग्राम भैसा पट्टी कला तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी 23.7.2021 तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23.07.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	3235-36 30-6-21
23.7.21	प्रार्थी ~~वकील~~ इफ०/अप्रार्थीगण [illegible] प्राप्त बावजूद सूचना उपस्थित नहीं [illegible] विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती [illegible] प्राप्त नही है। बइन्तजार रसीद [illegible] दिनांक 24.8.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ंक	फर्द अहकाम	
5/25	पत्रावली पेश हुई। पुकार एवम प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं बार बार आवाज दिलाई गई। इसके उपरान्त भी कोई भी उपस्थित नहीं इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजिरी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:21:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner